न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्रीमती मोनीदेवी पत्नि कानाजी, जाति-माली, निवासी-सिरोडी, तह. रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री उकाराम पुत्र श्री कस्तूरजी, जाति-माली, निवासी- पीथापुरा (एस), तहसील-रेवदर, जिला-सिरोही
2. श्री मयंक पुत्र पूनमाजी, जाति- माली, निवासी- सनवाडा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
3. ग्राम पंचायत, सिरोडी जरिये सरपंच, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 41/2015

"निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित, प्रार्थी की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 14 मार्च, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी **प्रार्थना पत्र** ग्राम पंचायत, सिरोडी द्वारा अप्रार्थी उकाराम पुत्र कस्तूर जी, जाति- माली, निवासी- पीथापुरा के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अर्न्तगत क्षेत्रफल 575 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 06.4.1991 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-2 श्री मयंक पुत्र पूनमाजी, जाति- माली, निवासी- सनवाडा को जारी नोटिस उसके वर्तमान पते Mayank`s, 76 WALLTAX ROAD, 2nd floor shop no.11-12 Park Town, Chennai-3 पर पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया जो अप्रार्थी संख्या-2 मयंक पुत्र पूनमाजी, जाति- माली को तामिल होकर पंजीकृत डाक की ए.डी. इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-2 व 3 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। जबकि निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी उकाराम पुत्र कस्तूर जी, जाति- माली, निवासी- पीथापुरा की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता को अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई बार अवसर दिये जाने के बाद भी अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही हुआ। प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 13.3.2018 को अप्रार्थी संख्या-1 उकाराम पुत्र पूनमाजी, जाति- माली, निवासी- पीथापुरा के अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा ने प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से पैरवी की हिदायत नही होना (No Instruction) जाहिर किया।

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

(3) प्रकरण में प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीया श्रीमती मोनीदवी के कब्जे अधिकार एवं स्वामित्व की आवासीय भूमि ग्राम सिरोडी के आबादी क्षेत्र में आई हुई है जिसकी चतुर्दशी के पूर्व में माली उका पुत्र कस्तूर व प्रतापराम पुत्र कानाजी का थाला, पश्चिम में बोडा कुम्हार कपूरा पुत्र भूदाजी का मकान, उत्तर में सिरोडी से टोकरा जाने वाले आम रास्ते में दरवाजा एक व दक्षिण में प्रतापराम पुत्र कानाजी माली का थाला आया हुआ है एवं उक्त भूखण्ड़ का नाप उत्तर-दक्षिण 20 फीट व पूर्व-पश्चिम 130 फीट कुल क्षेत्रफल 2600 वर्गफीट है। उक्त भूमि प्रार्थीया ने पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 217/87 दिनांक 21.3.1987 के द्वारा श्री प्रतापराम पुत्र कानाजी, जाति- माली, निवासी- सिरोडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही से कीमतन क्रय की थी। प्रार्थीया के कब्जे अधिकार एवं स्वामित्व की आवासीय भूमि क्षेत्रफल 2600 वर्गफीट में क्षेत्रफल 11.6x50.6=575 वर्गफीट भूमि का अप्रार्थी उकाराम ने ग्राम पंचायत, सिरोडी से मेल मिलाप कर पट्टा संख्या 50 दिनांक 06.4.1991 को अपने पक्ष में जारी करवा लिया जो प्रार्थीया के क्रय शुदा आवासीय भूमि का एक भाग है। उक्त भूमि के मौके पर अप्रार्थी उकाराम का कभी भी कब्जा अधिकार नहीं रहा है एवं मौके पर प्रार्थीया का आवासीय मकान पक्का बना हुआ है जिसमें प्रार्थीया अपने परिवार सहित निवास करती आ रही है। अप्रार्थी उकाराम का ग्राम सिरोडी में कभी भी आवास नही रहा है, अप्रार्थी उकाराम ग्राम पीथापुरा एस. का निवासी है। अप्रार्थी उकाराम को इस तथ्य की भलीभांति जानकारी होते हुए भी कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 50 में अंकित क्षेत्रफल 575 वर्गफीट भूमि पर अप्रार्थी उकाराम का कभी भी कब्जा नही रहा है एवं न ही यह भूमि अप्रार्थी उकाराम के स्वामित्व की रही है, उसके बावजूद भी अप्रार्थी उकाराम द्वारा दिनांक 10.3.1997 को उक्त क्षेत्रफल 575 वर्गफीट भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या-2 मयंक को भ्रमित करते हुए कर दिया। जिसकी जानकारी प्रार्थीया को होने पर प्रार्थीया द्वारा यह निगरानी बिना किसी देरी के इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है, इसलिये प्रार्थीया का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी उकाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 06.4.1991 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, सिरोडी द्वारा अप्रार्थी उकाराम पुत्र कस्तूर जी, जाति- माली, निवासी- पीथापुरा के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अर्न्तगत क्षेत्रफल 575 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 50 दिनांक 06.4.1991 को जारी किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी पक्ष का मुख्यत: कथन यह है कि ''प्रार्थीया के कब्जे अधिकार एवं स्वामित्व की आवासीय भूमि क्षेत्रफल 2600 वर्गफीट में क्षेत्रफल 11.6x50.6=575 वर्गफीट भूमि का अप्रार्थी उकाराम ने ग्राम पंचायत, सिरोडी से मेल मिलाप कर पट्टा संख्या 50 दिनांक 06.4.1991 को अपने पक्ष में जारी करवा लिया जो प्रार्थीया के क्रय शुदा आवासीय भूमि का एक भाग है। उक्त

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

भूमि के मौके पर अप्रार्थी उकाराम का कभी भी कब्जा अधिकार नही रहा है एवं मौके पर प्रार्थीया का आवासीय मकान पक्का बना हुआ है जिसमें प्रार्थीया अपने परिवार सहित निवास करती आ रही है।''

प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रार्थीया श्रीमती मोनीदेवी द्वारा श्री प्रतापराम पुत्र कानाजी, जाति- माली, निवासी- सिरोडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही से क्षेत्रफल उत्तर-दक्षिण 20 फीट व पूर्व-पश्चिम 130 फीट कुल क्षेत्रफल 2600 वर्गफीट भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 217/87 दिनांक 21.3.1987 के द्वारा कीमतन क्रय कर की गई थी, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, रेवदर से हुआ है। उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 217/87 में अंकित चतुर्दशी अनुसार प्रार्थीया द्वारा क्रय की गई भूमि के पूर्व दिशा में माली उका पुत्र कस्तूर व प्रतापराम पुत्र कानाजी का थाला, पश्चिम में बोडा कुम्हार कपूरा पुत्र भूदाजी का मकान, उत्तर में सिरोडी से टोकरा जाने वाले आम रास्ते में दरवाजा एक एवं दक्षिण दिशा में प्रतापराम पुत्र कानाजी माली का थाला स्थित है। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफस् का अवलोकन करने पर मौके पर पक्का आवासीय मकान बना हुआ होना दर्शित हो रहा है।

इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी श्रीमती मोनीदेवी द्वारा श्री प्रतापराम पुत्र कानाजी, जाति- माली, निवासी- सिरोडी से उक्त भूमि दिनांक 21.3.1987 को क्रय की गई थी। जबकि अप्रार्थी उकाराम के पक्ष में ग्राम पंचायत, सिरोडी द्वारा पट्टा संख्या 50 दिनांक 06.4.1991 को जारी किया गया है, जो प्रार्थीया मोनीदेवी द्वारा उक्त भूमि दिनांक 21.3.1987 को क्रय करने के पश्चात् जारी किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स के अनुसार मौके पर आवासीय मकान बना हुआ है। ऐसी स्थिति में, यदि प्रार्थीया द्वारा क्रय की गई उक्त भूमि क्षेत्रफल 2600 वर्गफीट भूमि में क्षेत्रफल 575 वर्गफीट का ग्राम पंचायत, सिरोडी द्वारा अप्रार्थी उकाराम के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है तो प्रार्थीया के हित प्रभावित होंगे।

अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, सिरोडी द्वारा अप्रार्थी उकाराम पुत्र कस्तूर जी, जाति- माली, निवासी- पीथापुरा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 06.4.1991 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, सिरोडी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करके पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी) 14.03.18
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही